रजिस्ट्री सं० डीएल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड (1)
PART I—Section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 198] नई दिल्ली, शुक्रवार अक्तूबर 10, 1997/आश्विन 18, 1919
No. 198] NEW DELHI, FRIDAY OCTOBER 10, 1997/ASVINA 18, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 46 (पी एन) /1997—2002

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर , 1997

फा. सं.-पीआरयू/ए. एस/97098/ए एस आई एल :—सांविधिक आदेश संख्या 283(उ.), दिनांक 31-7-97 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में अधिसूचित निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैराग्राफ 4.11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) 1997—2002 में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) का पैराग्राफ 12.7(इ.) को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :—

"परिशिष्ट-33 में विनिर्दिष्ट देशों को उत्पादों के निर्यात हेतु 2% अतिरिक्त विशेष आयात लाइसेंस भी प्रदान किया जाएगा।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एस.बी.महापात्र,
महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No.46(PN)/1997—2002

New Delhi, the 10th October, 1997

F. No. PRU/AS/97098/SIL.—In exercise of powers conferred under paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997—2002, as notified in the Gazette of India Extraordinary, Part-II Section 3 Sub-section (ii) vide S. O. No. 283(E) dated 31-3-97, the Director General of Foreign Trade hereby makes following amendment in the Handbook of Procedures (Vol. 1), 1997—2002:

Paragraph 12.7 (c) of Handbook of Procedures (Vol. 1) may be amended to read as follows :

"2% additional SIL shall also be granted for the export of products to specified countries as given in Appendix 33"

This issues in public interest.

S. B. MOHAPATRA,
Dir. Gen. of Foreign Trade

2563GI/97

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 – 1997